करियर शीट · CAREER SHEET

Clerk Grade-II — Rajasthan Secretariat

लिपिक ग्रेड-II राजस्थान सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा का प्रवेश-पद है — अर्थात् वह द्वार जिससे कोई व्यक्ति राज्य सरकार के मुख्यालय में काम करना आरंभ करता है। सचिवालय वह जगह है जहाँ राज्य की नीति बनती है: विभागों की नस्तियाँ यहीं...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-secretariat-clerk

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी
Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)
www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

🙏 विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

लिपिक ग्रेड-II राजस्थान सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा का प्रवेश-पद है — अर्थात् वह द्वार जिससे कोई व्यक्ति राज्य सरकार के मुख्यालय में काम करना आरंभ करता है। सचिवालय वह जगह है जहाँ राज्य की नीति बनती है: विभागों की नस्तियाँ यहीं चलती हैं, मंत्रियों एवं सचिवों के निर्णय यहीं दर्ज होते हैं, और जो आदेश आगे पूरे राज्य में लागू होते हैं वे यहीं से निकलते हैं। इस पद पर काम पत्राचार, नस्ती-संचालन, अभिलेख एवं आँकड़ों का है। इस राह की सबसे महत्त्वपूर्ण बात इसकी संरचना है: सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा में सीधी भर्ती केवल इसी एक पद पर होती है। उससे ऊपर के सभी पद — लिपिक ग्रेड-I, सहायक अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी — पूरी तरह पदोन्नति से भरे जाते हैं। अर्थात् जो व्यक्ति सचिवालय में अधिकारी बनना चाहता है, वह यहीं से आरंभ करता है और सीढ़ी चढ़ता है; कोई और प्रवेश-बिंदु नहीं है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	दो शर्तें एक साथ — (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ उपाध्याय (सीनियर सेकेंडरी) अथवा समकक्ष, तथा (ख) कंप्यूटर की एक निर्धारित योग्यता, जिसमें आर.एस.-सी.आई.टी. भी है और "कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित वरिष्ठ उपाध्याय" भी
भर्ती संस्था	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.) — सेवा: राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा
आयु-सीमा	18 से 40 वर्ष — किंतु गणना आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 अप्रैल को होती है, 1 जनवरी को नहीं (सेवा नियम 1970, नियम 9) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	सेवा नियमों में पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया — नियम 33 वेतन को अन्य नियमों के सन्दर्भ पर छोड़ता है; विज्ञप्ति देखें
माँग	85% सीधी भर्ती एवं 15% पदोन्नति — यह सचिवालय मंत्रालयिक सेवा का एकमात्र सीधी भर्ती वाला पद है

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- कार्यालय, अभिलेख एवं व्यवस्थित लिखित काम में रुचि
- एक ही संगठन में लंबे समय तक रहकर आगे बढ़ना
- सरकार की नीति-प्रक्रिया को निकट से देखना

क्षमताएँ

- सावधानी एवं शुद्धता — सचिवालय की नस्ती पर लिखी बात आगे आदेश बनती है
- कंप्यूटर पर काम करने की व्यावहारिक क्षमता — यह नियम की शर्त भी है
- भाषा पर पकड़, हिंदी में विशेष रूप से, क्योंकि सरकारी पत्राचार उसी में चलता है

ज़रूरी कौशल

- नस्ती-संचालन, टिप्पणी लेखन एवं पत्राचार
- अभिलेख एवं आँकड़ों का रखरखाव
- गोपनीयता, क्योंकि सचिवालय की सामग्री प्रायः निर्णय से पहले की होती है
- कंप्यूटर पर टंकण एवं कार्यालय सॉफ़्टवेयर
- सरकारी कार्यालय-प्रक्रिया की समझ — सेवा में सीखी जाती है
- सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति — बोर्ड की लिखित परीक्षा का आधार

4 कैसे पहुँचें

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ उपाध्याय (कक्षा 12) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करें। संकाय की कोई शर्त नहीं है।
2. कंप्यूटर की योग्यता भी अवश्य पूरी करें, क्योंकि नियम इसे "और" के साथ जोड़ता है — यह विकल्प नहीं, दूसरी अनिवार्य शर्त है। स्वीकृत योग्यताओं में हैं: डोएक "ओ" अथवा उच्चतर स्तर प्रमाण-पत्र; एन.आई.ई.एल.आई.टी., नई दिल्ली का कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्रमाण-पत्र; कोपा (COPA) अथवा डी.पी.सी.एस. प्रमाण-पत्र; कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र; पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; तथा आर.एस.-सी.आई.टी.।
3. यहाँ एक विकल्प ऐसा है जिसे कक्षा 11 में ही चुना जा सकता है और जो आगे का सारा झंझट बचा देता है: स्वीकृत सूची में "कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक विषय के रूप में रखते हुए वरिष्ठ उपाध्याय प्रमाण-पत्र" भी है। अर्थात् जिस विद्यार्थी ने कक्षा 11 एवं 12 में कंप्यूटर विज्ञान लिया, उसकी दोनों शर्तें — (क) एवं (ख) — एक ही प्रमाण-पत्र से पूरी हो जाती हैं और अलग से कोई पाठ्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह छोटी-सी बात कक्षा 11 के विषय-चयन को इस पद के लिए सीधे महत्त्वपूर्ण बना देती है।
4. नियम में एक लचीलापन भी जोड़ा गया है: "अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अथवा उच्चतर योग्यता"। साथ में यह भी लिखा है कि कंप्यूटर की योग्यता के बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इसलिए यदि आपकी योग्यता सूची में नाम से नहीं है पर उससे ऊँची है, तो वह मानी जा सकती है — किंतु उसका निर्णय बोर्ड करेगा, आप नहीं।

5. आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और यहाँ एक बात असामान्य है जिस पर ध्यान देना चाहिए: गणना आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 अप्रैल को होती है, जबकि राजस्थान के अधिकांश सेवा नियम 1 जनवरी को गिनते हैं। यह तीन महीने का अंतर है और सीमा-रेखा पर खड़े अभ्यर्थी के लिए वह निर्णायक हो सकता है।
6. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति आने पर ऑनलाइन आवेदन करें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- इस पद को समझने के लिए सबसे पहले सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा की संरचना देखिए, क्योंकि वही इस राह को दूसरों से अलग करती है। अनुसूची के अनुसार लिपिक ग्रेड-II 85% सीधी भर्ती एवं 15% पदोन्नति से भरा जाता है। उससे ऊपर लिपिक ग्रेड-I 100% पदोन्नति से भरता है, और सहायक अनुभाग अधिकारी भी 100% पदोन्नति से — लिपिक ग्रेड-I पर पाँच वर्ष की सेवा के बाद। अर्थात् इस पूरी सेवा में बाहर से प्रवेश का केवल एक बिंदु है, और वह यही पद है। जो व्यक्ति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी बनना चाहता है, उसके लिए कोई सीधी भर्ती नहीं है; वह इसी पद से आरंभ करके ऊपर जाता है।
- योग्यता की शर्त को पूरा पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसका दूसरा भाग आसानी से छूट जाता है। नियम कहता है (क) वरिष्ठ उपाध्याय, "और" (ख) कंप्यूटर की एक निर्धारित योग्यता। यह "और" है, "अथवा" नहीं — केवल कक्षा 12 उत्तीर्ण होना पर्याप्त नहीं है। स्वीकृत कंप्यूटर योग्यताओं की सूची लंबी एवं उदार है, और उसमें आर.एस.-सी.आई.टी. जैसा छोटा एवं सस्ता पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, इसलिए यह शर्त कठिन नहीं है — पर वह अनिवार्य है, और उसे पहले ही पूरा कर लेना बुद्धिमानी है, न कि विज्ञप्ति आने पर।
- उस सीढ़ी के भीतर एक व्यवस्था है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो इस पद को असामान्य रूप से आकर्षक बनाती है। लिपिक ग्रेड-I पर पदोन्नति दो कोटों से होती है: 67% वरिष्ठता-सह-योग्यता से, और 33% विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से, जो नियम 26-क के अंतर्गत आयोजित होती है। इस परीक्षा में बैठने के लिए स्नातक अभ्यर्थी को तीन वर्ष की सेवा चाहिए, जबकि अन्य को सात वर्ष की। इसका सीधा अर्थ यह है कि कक्षा 12 पर भर्ती होकर सेवा में रहते हुए स्नातक कर लेने वाला व्यक्ति तीन वर्ष में ही परीक्षा दे सकता है और वरिष्ठता की कतार को पार कर सकता है। सचिवालय में लगने के बाद पढ़ाई जारी रखने का सीधा एवं मापने योग्य प्रतिफल यही है।
- नाम-परिवर्तनों का एक क्रम इस सेवा में दर्ज है और उसे जान लेना पुरानी सामग्री पढ़ते समय काम आता है। "निम्न श्रेणी लिपिक" को 30.09.2014 को "लिपिक ग्रेड-II" किया गया; "उच्च श्रेणी लिपिक" को उसी दिन "लिपिक ग्रेड-I"; और "सहायक" को 27.05.2011 को "सहायक अनुभाग अधिकारी"। यदि आपको कहीं पुराने नाम मिलें, तो वे इन्हीं पदों की बात कर रहे हैं।

- सीधी भर्ती के हिस्से के बारे में एक बात ईमानदारी से कह देनी चाहिए। नियमों में यह अनुपात चार बार बदला है और हर बार एक ही दिशा में: पहले 95% सीधी भर्ती थी, फिर 90%, फिर 87.5%, और अब 85%। पदोन्नति का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा है। यह कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं है और 85% अब भी बहुत बड़ा हिस्सा है, पर दिशा जान लेना उचित है।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Any recognised Board — the qualification is Senior Secondary, with no stream condition — राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित (https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/)
- RS-CIT centres of Rajasthan Knowledge Corporation Limited — the cheapest way to satisfy the computer condition — राजस्थान के सभी ज़िलों में (https://www.rkcl.in/)
- Government ITIs and polytechnics — COPA, DPCS and computer diplomas, all of which the rule accepts — राजस्थान के अनेक ज़िलों में (https://dte.rajasthan.gov.in/)
- Rajasthan State Open School — for completing Class 12 alongside work; reached through the School Education Department portal — जयपुर एवं ज़िला केंद्र (https://education.rajasthan.gov.in/)

ऑनलाइन

- कार्मिक विभाग, राजस्थान — सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 — योग्यता, आयु एवं पदोन्नति की शर्तें यहीं मूल दस्तावेज़ में पढ़ें (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड — विज्ञप्ति, पाठ्यक्रम एवं पिछले प्रश्न-पत्र — भर्ती यही बोर्ड करता है (https://rssb.rajasthan.gov.in/)
- राजस्थान सचिवालय — जिस कार्यालय में यह पद है — जयपुर, राजस्थान (https://rajasthan.gov.in/)

- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

यह राह आर्थिक दृष्टि से बहुत सुलभ है और उसका कारण सीधा है: योग्यता कक्षा 12 है, और उसके साथ एक कंप्यूटर प्रमाण-पत्र। राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 लगभग निःशुल्क हो जाती है, और यदि पढ़ाई बीच में छूट गई हो तो राज्य मुक्त विद्यालय से काम के साथ पूरी की जा सकती है। कंप्यूटर की शर्त पूरी करने के कई रास्ते हैं और उनकी लागत बहुत भिन्न है, इसलिए चुनाव सोच-समझकर करें: आर.एस.-सी.आई.टी. कुछ हज़ार रुपये में हो जाता है और हर ज़िले में उपलब्ध है; राजकीय आई.टी.आई. का कोपा ट्रेड भी कम शुल्क पर है; और सबसे सस्ता रास्ता तो यह है कि कक्षा 11 में ही कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय ले लिया जाए, क्योंकि तब कक्षा 12 का प्रमाण-पत्र ही दोनों शर्तें पूरी कर देता है और अलग से एक पैसा नहीं लगता। जो विद्यार्थी अभी कक्षा 10 में है और आगे सरकारी लिपिकीय सेवा की सोच रहा है, उसके लिए यह जानकारी सबसे उपयोगी है। परीक्षा की तैयारी के लिए बोर्ड स्वयं पाठ्यक्रम एवं पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र निःशुल्क प्रकाशित करता है। एक बात आगे के लिए भी: सेवा में लगने के बाद स्नातक कर लेना केवल शिक्षा नहीं, पदोन्नति की गति का प्रश्न है — विभागीय परीक्षा में स्नातक को तीन वर्ष पर अवसर मिलता है और अन्य को सात वर्ष पर।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

राजस्थान सचिवालय, जयपुर — राज्य सरकार का मुख्यालय, तथा उससे जुड़े विभागीय कार्यालय। काम पूरी तरह कार्यालय के भीतर होता है और तैनाती जयपुर में ही रहती है, जो इस पद की एक उल्लेखनीय विशेषता है।

कार्य-संस्कृति

सचिवालय का काम राज्य के किसी भी अन्य कार्यालय से भिन्न है और उसे समझ लेना चाहिए। यहाँ जो नस्ती चलती है वह किसी एक व्यक्ति के मामले की नहीं, प्रायः पूरे राज्य पर लागू होने वाली नीति की होती है — इसलिए काम की गति अपेक्षाकृत धीमी एवं प्रक्रिया अत्यंत औपचारिक होती है, और उसमें झुँझलाहट भी होती है। दूसरी ओर यही इसका आकर्षण है: लिपिक स्तर पर भी आप उन कागज़ों के पास होते हैं जिन पर राज्य के निर्णय बनते हैं, और सरकार वास्तव में कैसे चलती है यह समझ यहाँ बहुत तेज़ी से बनती है — उससे कहीं तेज़ी से जितनी ज़िले के किसी कार्यालय में। दिनचर्या निश्चित रहती है, समय नियमित होता है, और तैनाती जयपुर में स्थिर रहती है, इसलिए बार-बार स्थानांतरण की चिंता नहीं रहती। यह स्थिरता उन लोगों के लिए बड़ी बात है जो साथ-साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, और इस सेवा में पढ़ाई का सीधा प्रतिफल भी है। ईमानदारी से एक बात और: आरंभिक वर्षों में काम दोहराव वाला होता है और ज़िम्मेदारी सीमित रहती है। इस पद का असली मूल्य पहले वर्ष में नहीं, उस सीढ़ी में है जिस पर यह खड़ा है।

कौन नौकरी देता है

- राजस्थान सचिवालय, जयपुर — राज्य सरकार का मुख्यालय
- राज्य सरकार के संलग्न कार्यालय
- सचिवालय के अधीन विभागीय अनुभाग एवं शाखाएँ
- समान मंत्रालयिक संवर्ग ज़िला कलेक्ट्रेट एवं अन्य विभागों में भी हैं, यद्यपि वे अलग सेवा नियमों से चलते हैं

माँग (2026)

सचिवालय राज्य सरकार का स्थायी मुख्यालय है और उसकी मंत्रालयिक सेवा का आकार स्थिर रहता है, इसलिए इस पद की आवश्यकता बनी रहती है। साथ में तीन बातें जान लेनी चाहिए। पहली, प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है — योग्यता कक्षा 12 है, तैनाती जयपुर में स्थिर है, और सीढ़ी अनुभाग अधिकारी तक जाती है; ये तीनों बातें मिलकर आवेदकों की संख्या बहुत बड़ी कर देती हैं। दूसरी, भर्ती नियमित अंतराल पर नहीं आती और रिक्तियों की संख्या सेवा के आकार पर निर्भर करती है, जो बड़ी नहीं है। तीसरी, सीधी भर्ती का हिस्सा नियमों में चार बार घटाया गया है — 95% से 85% तक — इसलिए दिशा जान लेना उचित है, यद्यपि 85% अब भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके विरुद्ध जो सुविधा है वह वास्तविक है: इसी तैयारी से राजस्थान की अन्य लिपिकीय भर्तियाँ — कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, तथा विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक पद — सब खुले रहते हैं, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम एवं स्तर काफ़ी हद तक साझा है। पदों की संख्या सेवा की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. लिपिक ग्रेड-II — प्रवेश-पद, 85% सीधी भर्ती से; सचिवालय मंत्रालयिक सेवा में बाहर से आने का एकमात्र द्वार
2. लिपिक ग्रेड-I — 100% पदोन्नति से, दो कोटों में: 67% वरिष्ठता-सह-योग्यता से तथा 33% नियम 26-क की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से (स्नातक हेतु तीन वर्ष की सेवा, अन्य हेतु सात वर्ष)
3. सहायक अनुभाग अधिकारी — 100% पदोन्नति से, लिपिक ग्रेड-I पर पाँच वर्ष की सेवा पर

4 अनुभाग अधिकारी एवं उससे ऊपर — सचिवालय मंत्रालयिक संवर्ग का वरिष्ठ स्तर

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹30,000 – ₹45,000 (भत्तों सहित, लिपिक ग्रेड-I के स्तर पर)
वरिष्ठ स्तर	₹55,000 से अधिक (भत्तों सहित, सहायक अनुभाग अधिकारी एवं उससे ऊपर)

1970 के सेवा नियम इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर नहीं देते — नियम 33 केवल इतना कहता है कि वेतनमान वही होगा जो नियम 36 में उल्लिखित नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय हो अथवा सरकार समय-समय पर स्वीकृत करे। इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया; वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा, और यही एकमात्र भरोसेमंद स्रोत है। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक वेतन-पत्रक से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। एक बात ध्यान रखने योग्य है: इस पद का वास्तविक आर्थिक मूल्य आरंभिक वेतन में नहीं, उस सीढ़ी में है जिस पर यह खड़ा है — क्योंकि इसके ऊपर के सभी पद पूरी तरह पदोन्नति से भरते हैं, और सेवा में रहते हुए स्नातक कर लेने पर विभागीय परीक्षा से पदोन्नति की गति बढ़ जाती है। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- तैनाती जयपुर में स्थिर — बार-बार स्थानांतरण की चिंता नहीं, जो अधिकांश राज्य सेवाओं में नहीं मिलता
- सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा में प्रवेश का एकमात्र द्वार, और सीढ़ी अनुभाग अधिकारी तक जाती है
- सेवा में रहते हुए स्नातक करने का सीधा प्रतिफल — विभागीय परीक्षा तीन वर्ष पर, अन्यथा सात वर्ष पर
- कक्षा 11 में कंप्यूटर विज्ञान लेने पर दोनों योग्यता-शर्तें एक ही प्रमाण-पत्र से पूरी

चुनौतियाँ

- कक्षा 12 अकेले पर्याप्त नहीं — कंप्यूटर की योग्यता "और" के साथ जुड़ी अनिवार्य शर्त है
- आयु की गणना 1 अप्रैल को होती है, 1 जनवरी को नहीं — सीमा-रेखा पर यह अंतर निर्णायक हो सकता है
- आरंभिक वर्षों में काम दोहराव वाला एवं ज़िम्मेदारी सीमित
- सीधी भर्ती का हिस्सा नियमों में चार बार घटाया गया — 95% से 85% तक

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- कनिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ सहायक (राजस्थान)
- आशुलिपिक व निजी सहायक ग्रेड-II (राजस्थान सरकार)
- जमादार ग्रेड-II (आबकारी विभाग, निवारक शाखा, राजस्थान)

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202305180358339564812Sectt.min.1970_merged.pdf

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड — विज्ञप्तियाँ — https://rssb.rajasthan.gov.in/advertisements

3. राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड — आर.एस.-सी.आई.टी. — https://www.rkcl.in/

4. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियमों का संग्रह — https://dop.rajasthan.gov.in/

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

6. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in